न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:–5/2019 तारीख रजू:–29.03.2019

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2019/00045

पीठासीनअधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री जन्सीलाल उम्र 62 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर, हाल निवासी न्यू कॉलोनी ठींगला मानटाउन तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. रामपाल पुत्र मोजीराम जाति मीना, निवासी, आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2. सीताराम पुत्र रामपाल जाति मीना, निवासी, आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
3. आशाराम पुत्र रामपाल जाति मीना, निवासी, आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
4. रामसहाय पुत्र रामपाल जाति मीना, निवासी, आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
5. हंसराज पुत्र श्रीरामपाल जाति मीना, निवासी, आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
6. रामकिशोर पुत्र रामपाल जाति मीना, निवासी, आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
7. किरोडी पुत्र सीताराम मीना, निवासी, आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
8. तहसीलदार महोदय चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
9. हल्का पटवारी ग्राम आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

उपस्थित–

वकील वादी:–श्री अशोक कुमार साहू, एडवोकेट

वकील प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 :– एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक:–14.01.2026

दावा अन्तर्गत धारा 183 क, 183 ख व 188 आर0टी0 एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

–ःः निर्णय ःः–

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

❖ यह कि वादी के स्वयं के कब्जे काश्त की निम्नलिखित कृषि भूमि है। वादी इस कृषि भूमि पर खातेदार काश्तकार है, जिनका लगान वादी राज्य सरकार में लगातार जमा करवाता आ रहा है।

क्र0सं0	खाता संख्या नया	पुराना	खेत खं0 नं0	रकबा	लगान
1.	205	213	1353	1.2300	23.37

❖ प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 मेरे खाते की जमीन खं. नं. 1353 रकबा 1.2300 है0 के 320 वर्ग मीटर पर जबरन अतिक्रमण करके कब्जा करना चाहते है।

❖ वादी ने फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान एल. आर. चौथ का बरवाडा में दिनांक 04.06.2011 को अपने ख. नं 1353 रकबा 10.23 है0 करवाया तो पूर्व की तरफ व पश्चिम की तरफ दक्षिण की तरफ की मेड सही पायी गयी परन्तु ख.नं. 1353 में उत्तर–पश्चिम के कोने पर 8 मीटर चौडी एवं 80 मीटर लम्बी त्रिभुजाकार 8x80 = 320 वर्गमीटर भूमि पर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है, जिस पर मौके पर पिल्लर पत्थर के गडवाये गये है,जो संलग्ननक्शा ट्रैस में लाल स्याही के टिक मार्क से दर्शायी गई, इसके बाद ग्रामवासियों ने दोनो पक्षों के बीच समझौता करवाकर मौके पर ही पत्थर गडवाये गये लेकिन दादागिरी के बल पर प्रतिवादीगणों ने पत्थर को हटा दिये और पुनः उसी जगह पर स्थापित हो गये है।

❖ वादी ने अपने खं. नं. 1353 पर सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर 17 सीमेन्ट के पिल्लर गाडे तथा 3 लोहे के जाल लगाये तो उक्त प्रतिवादी गण ने 17 सीमेन्ट के पिल्लर को उखाड़कर तोडकर मेरे खेत में डाल दिये तथा 3 लोहे के जाल चुराकर हो गये। इस प्रकार से प्रतिवादीगणों ने वादी का लगभग 15,000/– रूपये का नुकसान कर दिया।

❖ प्रतिवादीगणों ने खसरा नं 1255, 1339, 1342, 1344 पर रास्ता अवरुद्ध करके कब्जा कर रखा है, जिसमें जिला न्यायाधीश महोदय ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा के विरूद्ध गैरमुमकिन रास्ते से अतिक्रमण हटाने की डिक्री पारित कर रखी है, जिसकी अपील संख्या 15/2018 है।

❖ वादी व प्रतिवादी गणों के बीच नं 1353 को लेकर विवाद चला रखा है, जिसमें दोनो पक्षों के बीच लडाई झगडे भी [illegible] है, जिसका एक मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय सवाई माधोपुर के समक्ष [illegible] रहा है। ख. नं. 1353 मेरा है और भाई व बहिनों की राय व समझौते से यह खसरा मुझे दे रखा है, इस खसरा पर मैं शुरू से ही काश्त करता आ रहा है। यदि प्रतिवादीगण ने 320 वर्गमीटर जमीन मेरे सुपुर्द नहीं की और कब्जा कर लिया तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ ख. नं. 1353 मेरा है, इस बाबत साबित करने के लिए कि मेरे वादपत्र के पीछे हक सम्बन्धी दस्तावेजात कि प्रतिलिपियॉं– जैसे जमाबंदी बतरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस, फर्द मौका रिपोर्ट, सीमाज्ञान की प्रतिलिपि संलग्न है।

❖ वाद दिनांक 26–09–2018 रात्रि 8.00 बजे वार बुधवार को उत्पन्न हुआ जब मैंने अपने खेत में 17 पिल्लर गाडे तथा 3 लोहे के जाल लगाये, जिन्हें, प्रतिवादीगण ने 17 पिल्लर उखाड़ डाले तथा 3 लोहे के जाल चोरी करके ले गये, जिसका मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर में विचाराधीन है।

❖ प्रतिवादी गण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की पारित की जावे कि प्रतिवादी गण वादी के उक्त खसरा नं. 1353 रकथा 1. 23 हेक्टर के 320 वर्गमीटर में कब्जा कर रखी है, उसको हटवाकर बेदब्त किया जावे। वादी को अपने खेतों पर जाने से अवरोधित न करे और ना ही वादी के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं करे और ना ही करवाये।

❖ प्रतिवादीगण द्वारा 320 वर्गमीटर जमीन पर अतिक्रण करके कब्जा रखा है, उनसे वादी की जमीन को मुक्त करवायें।

❖ प्रतिवादीगण ने जब से 320 वर्गमीटर पर अतिक्रमण करके कब्जा कर रखा है, उस दौरान हुई उपज वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाये जावे और न्यायालय के वाद के दौरान कोई उपज प्राप्त की हो, वह भी वादी को दिलवायी जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये गये।

3. प्रतिवादीगण बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. वादी वकील ने साक्ष्य के समर्थन में साक्ष्य पेश किये हैं, जो निम्नानुसार है–

❖ <u>पी.डब्ल्यू–1</u>:– रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री जन्सीलाल मीना निवासी आदलवाडा कलां तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर, हाल निवासी न्यू कॉलोनी ठींगला मानटाउन तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

5. एकपक्षीय बहस वकील वादी सुनी गई। वादी ने दौराने बहस वादपत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

6. मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

7. ग्राम आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा के जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 204 का 1/12 हिस्से का वादी रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रतिवादीगण जबरदस्ती विवादित आराजीयात पर कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने वादपत्र के विरोध में न तो कोई जवाब और न ही कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं। ऐसी स्थिति में वादी को प्रतिवादीगण को वादी खातेदारी भूमि से बेदखल करने एवं उनके कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करने हेतु पाबंद कराने का अधिकार प्राप्त है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

–:आदेश:–

वादी का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी भूमि ग्राम आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 204 के खसरा नंबर 1353 रकबा 1.23 है0 के उत्तर पश्चिम कोने पर 8 मीटर चौड़ी एवं 80 मीटर लम्बी भूमि में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे विवादित आराजीयात खसरा नंबर 1353 रकबा 1.23 है0 के उत्तर पश्चिम कोने पर 8 मीटर चौड़ी एवं 80 मीटर लम्बी भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को बेदखल कर वादी को कब्जा संभालावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 14.01.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** स्थान **चौथ का बरवाडा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

1. रामपाल पुत्र मोजीराम जाति मीना, निवासी, आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2. सीताराम पुत्र रामपाल जाति मीना, निवासी, आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
3. आशाराम पुत्र रामपाल जाति मीना, निवासी, आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
4. रामसहाय पुत्र रामपाल जाति मीना, निवासी, आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
5. हंसराज पुत्र श्रीरामपाल जाति मीना, निवासी, आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
6. रामकिशोर पुत्र रामपाल जाति मीना, निवासी, आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
7. किरोडी पुत्र सीताराम मीना, निवासी, आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
8. तहसीलदार महोदय चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
9. हल्का पटवारी ग्राम आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री जन्सीलाल उम्र 62 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर, हाल निवासी न्यू कॉलोनी ठींगला मानटाउन तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

नम्बर मुकदमा 5 सन् 2019

दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट

वादीगण की ओर से **श्री अशोक कुमार साहू, एडवोकेट** एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से **एकपक्षीय कार्यवाही** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 14.01.2026 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि** प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी भूमि ग्राम आदलवाड़ा कलां, तहसील चौथ का बरवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 204 के खसरा नंबर 1353 रकबा 1.23 है0 के उत्तर पश्चिम कोने पर 8 मीटर चौड़ी एवं 80 मीटर लम्बी भूमि में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे विवादित आराजीयात खसरा नंबर 1353 रकबा 1.23 है0 के उत्तर पश्चिम कोने पर 8 मीटर चौड़ी एवं 80 मीटर लम्बी भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को बेदखल कर वादी को कब्जा संभालावें। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्चे लेखें **X** रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर **X** प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित **X** द्वारा **X** को दी जाए। यह आज तारीख 14.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)